

अवर प्रमण्डल, पदाधिकारी का कार्यालय
सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर
सैरातो की अल्पकालीन बन्दोबस्ती हेतु आम सूचना

पत्रांक-..... /

बक्सर दिनांक-..... /

एतद सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर के क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित विभागीय सैरातों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती के लिए निर्धारित तिथि- 24.07.2026 वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खुला डाक से अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय 12:30 बजे अपराह्न से कार्यालय परिसर में की जायेगी। डाक निलामी हेतु प्रथम निलामी की तिथि को डाक नहीं होने के स्थिति में अगली क्रमशः तिथि-28.07.2026 एवं 30.07.2026 को डाक किया जाएगा। आपके द्वारा अगर निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर बन्दोबस्ती/डाक बोलने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। इस संबंध में आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

तिथि-24.07.2026, 28.07.2026, 30.07.2026	समय 12:30 बजे अपराह्न	स्थान सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर के कार्यालय परिसर में
---	--------------------------	--

1 क्र०	2 सैरातों का नाम	3 सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि
1	11 नं लॉक से 12 नं लॉक तक मछली मारने की निलामी लॉक चेम्बर से 50 फीट छोड़कर	75900=00	7600=00
2	महदह राजवाहा में मछली मारने की निलामी। (हेड स्वीलिस से 50 फीट छोड़कर)	23650=00	2370=00
3	बसौली राजवाहा में मछली मारने की निलामी (हेड स्वीलिस से 50 फीट छोड़कर)	36000=00	3600=00
4	बसौली राजवाहा में कनझरुआ फॉल के नजदीक मछली मारने की निलामी।	3700=00	400=00
5	पसहरा लॉक से निचे मछली मारने की निलामी (हेड स्वीलिस से 50 फिट छोड़कर)	3900=00	400=00

बंदोबस्ती का शर्त :-

1. डाक में भाग लेने वाले ईच्छुक व्यक्ति जमानत की राशि जमा करने के बाद ही डाक में भाग लेंगे। सफल डाकवक्ता को डाक की प्रक्रिया समाप्ति के तुरन्त बाद डाक की पूरी राशि एक मुश्त में जमा करना होगा।
2. यदि उच्चतम डाकवक्ता द्वारा बोले गये राशि पर बन्दोबस्ती नहीं ली जाती है तो उसके जमानत के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त कर ली जायेगी एवं द्वितीय डाकवक्ता के साथ बन्दोबस्ती की कार्यवाई की जायेगी एवं अन्य व्यक्ति की जमानत की राशि को उसी समय वापस कर दी जायेगी।
3. डाक की कार्यवाई या किसी भी समय किसी भी प्रकार का निर्णय लेने एवं बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
4. निलामी की सम्पुष्टि कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर से होने के पश्चात ही निलामी कर्ता को भरपाई रसीद दी जायेगी।
5. उक्त बन्दोबस्ती में एक (01) ही व्यक्ति उपस्थित होकर बोली लगाने हेतु नियमानुसार सम्मिलित होंगे।

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर।

पत्रांक 185 /

बक्सर, दिनांक 14.07.2026

प्रतिलिपि-सूचना एवं जन सर्मक पदाधिकारी जल संसाधन विभाग, पटना को बन्दोबस्ती आम सूचना की 01 प्रति एवं सी0 डी0 सहित हिन्दी के दैनिक समचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशनार्थ संप्रेषित।


Umesha
14.07.26
अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, बक्सर।